मधु किश्वर एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

11 अक्टूबर, 1991

(रंगनाथ मिश्र, सी.जे. एवं कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति)

छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908ः

धारा-7,8-अनुसूचित जनजाति-सम्पत्ति में उत्तराधिकार-पुरूष क्रम तक सीमित-महिला वारिसों का समावेश- के लिए आवश्यकता।

छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के पुरूष क्रम में वंशजों का सम्पत्ति में सीमित उत्तराधिकार।

अपीलार्थी जो कि महिला थी तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 'हो' और 'ओराव' जनजाति से सम्बन्धित थी, ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा-7 व 8 महिलाओं क विरूद्ध भेदभादपूर्ण और संविधान के समता खण्ड के अधिकारातीत थी।

न्यायालय ने रिट याचिका की सुनवाई के प्रारम्भिक चरण में प्रतिवादी-बिहार राज्य को इसकी उल्लंघनकारी धाराओं में संशोधन करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए समय दिया जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उत्तराधिकार पुरूष पंक्ति संशोधन करना ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उत्तराधिकार पुरूष पंक्ति तक ही सीमित नहीं था। इसके अनुसरण में, राज्य द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुसूचित जनजातियों के बीच एक प्रथा प्रचलित है कि एक महिला उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार से बाहर रखा जाता है, और यदि कोई परिवर्तन होता है, और संपत्ति को महिला उत्तराधिकारियों के हाथों में जाने की अनुमति दी जाती है तो आंदोलन और अशांति होगी।

याचिकाओं की सुनवाई को स्थगित करते हुए, यह न्यायालय,

अवधारित- अनुसूचित जनजाति के लोग भी अन्य लोगों की तरह ही नागरिक हैं और वे संविधान की गारंटी के लाभ के हकदार हैं। ऐसा हो सकता है कि कानून अनुसूचित जनजातियों और उनकी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में उचित विनियमन प्रदान कर सकता है। लेकिन विरासत से बहिष्कार उचित नहीं होगा। चूंकि मामले के इस पहलू की जांच बिहार राज्य द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए उसे विरासत की अनुमति देने की व्यवहार्यता की फिर से जांच करनी चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी विरासत को विनयमित करना कि संपत्ति हस्तांतरण के माध्यम से या अन्यथा परिवार से बाहर न जाय।

(480एच, 481 एबी)

जीतमोहन सिंह मुंडा बनाम रामरतन सिंह और अन्य, 1958 बीएलजेआर 373, संदर्भित किया गया।

इन परिस्थितियों में मामले की सुनवाई तीन महीनों के लिए स्थगित कर दी जाए। और बिहार राज्य तुरंत आदेश पर विचार करेगा और बताये गये कदम पर अमल करे और एक हलफनामें के माध्यम से न्यायालय को रिपोर्ट करे और इसके साथ ही बिहार राज्य द्वारा गठित कमेटी द्वारा आख्या की एक प्रति प्रस्तुत की जाए। (481बी-सी)

मूल क्षेत्राधिकार रिट याचिका संख्या 5723/1982 और 219/1986
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।
याचिकाकर्ताओं के लिए श्रीमती पिंकी आनंद और डी.एन.गोबर्धन।

बी.बी.सिंह, प्रमोद स्वरूप, जे.पी. वर्गीज, एल.जे. वडकारे और सुश्री कामिनी जायसवाल (एन.पी.) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया। ये दोनों याचिकाएं संविधान के अनुच्देद 32 के अन्तर्गत छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए हैं। छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान जो यह तर्क देते हुए संपत्ति के उत्तराधिकार को सीमित करते हैं कि यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और इसलिए, संविधान में समानता खंड के अधिकार से बाहर है। याचिकाकर्ता नं. 1 पहली रिट याचिका में एक पत्रिका का संपादक होता है जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 'हो' जनजाति की दो महिलाएं हैं, स्वीकार्य रूप से जो बिहार के सिंह भूमि जिले में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं। अन्य रिट याचिका में याचिकाकर्तागण छोटा नागपुर क्षेत्र के 'उरांव' जनजाति के हैं। छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 की धारा 7 और 8 को अनिवार्य रूप से चुनौती दी गई है, प्रावधान करती है -

"7. (1) खूंट-खट्टी अधिकार रखने वाले रैयत का अर्थ :- खूंट-खट्टी अधिकार रखने वाले रैयत का अर्थ है कि गॉव के मूल संस्थापकों या उनके द्वारा जंगल से प्राप्त भूमि पर कब्जा करने वाला या उस पर कोई जीवित स्वामित्व रखने वाला रैयत पुरूष वंश में वंशज, जब ऐसा रैयत उस परिवार का सदस्य हो जिसने गॉव की स्थापना की हो या ऐसे परिवार के किसी भी सदस्य के पुरूष वंश में वंशज। बशर्ते कि किसी भी रैयत को किसी भी भूमि पर खूंट कट्टी अधिकार नहीं माना जाएगा जब तक कि वह और उनके सभी पूर्ववर्तियों के पास ऐसी भूमि है या उन्होंने गांव के मूल संस्थापकों से विरासत के आधार पर उस पर स्वामित्व प्राप्त किया है।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसने इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व कानूनी तौर पर खूंट कट्टीदारी किरायेदारी का शीर्षक हासिल कर लिया है।

8- मुंडारी खूंट-कट्टिर का अर्थ :- मुंडारी खूंट-कट्टीर का अर्थ है एक मुंडारी जिसने अपने या अपने परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा खेती के लिए उसके उपयुक्त हिस्से को लाने के उद्देश्य से जंगल की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार हासिल कर लिया है और इसमें शामिल है -

(ए) ऐसे किसी मुंडारी वंश के उत्तराधिकारी पुरूष, जब वे ऐसी भूमि के कब्जे में हों या उनके पास उस पर कोई मौजूदा स्वामित्व हो, और

(बी) ऐसी भूमि के किसी हिस्से के सम्बन्ध में जो लगातार ऐसे किसी मुंडारी और पुरूष वंश के उसके वंशजों के कब्जे में रहा हो, ऐसे वंशज।

जितमोहन सिंह मुण्डा बनाम रामरतन सिंह एवं अन्य 1958 बी.एल.जे.आर. के वाद में पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया।

इस प्रस्ताव के समर्थन में कि पटना उच्च न्यायालय ने 30 साल से अधिक समय पहले यह विचार रखा था कि प्रावधान लागू नहीं था और एक विधवा भी विरासत की हकदार थी। जब पटना उच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि यह रिट याचिकाओं में उठाए गए तर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। फैसले के पैराग्राम 4 में उच्च न्यायालय ने संकेत दियाः

धारा-8 पर आधारित विवाद भी खूट-कट्टीदारी को परिभाषित करने में पारिभाषिक रूप से प्रथमतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, शब्द उपयोग किया गया शामिल है।

जिसके बाद खंड (ए) और (बी) आते हैं जिनके संदर्भ में मुंडारी की पुरूष पंक्ति में पुरूष शब्द ''सम्मिलित'' सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता है। केवल यह कहा गया है कि उत्तराधिकारी अकेले पुरूष पंक्ति मुंडारी खुंट कट्टीदारी की श्रेणी में है।

लेकिन निहितार्थ में यह अच्छी तरह से हो सकता है कि मृतक मुंडारी के उत्तराधिकारी जो महिलाएं हैं, वह उन्हें अपदस्थ करने की अधिकृत नहीं होंगी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सेक्शन इतनी निश्चित रूप से विधवा के समावेश को बाहर करने के लिए मृतक मुंडारी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो उसके जीवनपर्यन्त भूमि को धारित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त वर्ग (अ) पुरूष पंक्ति के पुरूष वारिस को संदर्भित करता है। शब्द 'पंक्ति' भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति जो मृतक मुंडारी था वंशज है, उसका हित प्रश्नगत हो सकता है। यहॉ तक कि इसलिए, यदि इन शब्दों 'पुरूष पंक्ति में पुरूष वारिस' था अनन्य अर्थ दिया गया तब भी इसका अर्थ होगा कि केवल ऐसा व्यक्ति जो उसका वंशज है या सबके साथ दूसरी पुरूष पंक्ति का प्रतिनिधित्व

करता है। विशिष्ट मुण्डारी की विधवा का अपवर्जन जो कुछ भी हो, उसका यहॉ कोई संदर्भ नहीं है।

मेरे मत में मुंडारी की विधवा के हित के सम्बन्ध में स्थिति इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वही है जो उसके दिवंगत पति की अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उसकी स्थिति होगी। चूंकि निचली अदालत ने स्वीकार किया है कि परिवार ने हिंदू संस्कारों और हिंदू धर्म का पालन किया है, इसलिए कार्तिक सिंह की विधवा अधिकार में रहने की हकदार होगी। धारा 8, जैसा कि मैंने चर्चा की है, विधवा की इस स्थिति के साथ असंगत नहीं है और इस प्रकार, नीचे दिए गए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सही दृष्टिकोण अपनाया कि वादी प्रतिवादी सं. 1, के जीवन पर्यन्त तक सम्पत्ति पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन वह

घोषणा का अधिकारी है कि वह विधवा की मृत्यु के बाद सफल होगा।

खण्ड पीठ के फैसले में धारा 8 की दी गई व्याख्या, इसलिए, दोनों मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे सामने उठाए गए मुद्दे को पूरा समर्थन नहीं करता है। यह अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित मामला था और अदालत ने इस निष्कर्ष पर हिन्द कानून की अवधारणा लाकर विधवा के संदर्भ में मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़े कि परिवार ने हिन्दू कानून को अपनाया था और अपनी जाति प्रथा से बाध्य नहीं था।

एक प्रारंभिक चरण में जब इनमें से एक रिट याचिका पर सुनवाई की गई थी। बिहार राज्य को उल्लंधनकारी धाराओं में संशोधन करने की व्यवहार्यता पर विचार करने और यह स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए समय दिया गया कि उत्तराधिकार पुरूष पंक्ति में पुरूष तक ही सीमित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए बिहार राज्य द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अनुसूचित जनजातियों में प्रचलित प्रथा के अनुसार एक महिला उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार से बाहर रखा गया है और यदि कानून की अन्यथा व्याख्या या परिवर्तन किया गया और सम्पत्ति को महिला उत्तराधिकारियों के हाथों में जाने की अनुमति दी गई तो प्रथा-आधारित जीवन जीने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच क्षेत्र में बहुत आंदोलन और अशांति होगी।

अनुसूचित जनजाति के लोग अन्य लोगों की तरह ही नागरिक हैं और वे संविधान की गारंटी का लाभ पाने के हकदार हैं।

कानून अनुसूचित जनजातियों और उनकी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मामले में उचित विनियमन प्रदान कर सकता है। लेकिन विरासत से बहिष्कार उचित नहीं होगा। चूंकि मामले के इस पहलू की बिहार राज्य द्वारा जांच नहीं की गई है और उत्तराधिकार की अनुमति देने की व्यवहार्यता की जांच और साथ ही ऐसे विरासत का विनियमन करना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सम्पत्ति हस्तांतरण के माध्यम से या अन्यथा परिवार से बाहर न जाये। हमारा विचार है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों में बिहार राज्य को इस मामले की फिर से जांच करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में एक अंतिम आदेश द्वारा दो रिट याचिकाओं का निपटारा करने के बजाय, हम सुनवाई को तीन महीने के

लिए स्थगित कर देते हैं और बिहार राज्य को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत हमारे आदेश पर विचार करे और बताये गए कदम पर अमल करें एवं एक हलफनामें के माध्यम से न्यायालय को रिपोर्ट करे और इसके साथ ही बिहार राज्य द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाय।

इस मामले को सुनवाई का भाग नहीं माना जाएगा और यह अगला मामला होगा और एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा जहां न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह एक सदस्य होंगे।

याचिकाएॅ स्थगित कर दी गई।

आर.पी.